This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 18 सितम्बर, 2017 / 27 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 16 नवम्बर, 2017

संख्याःपीसीएच–एचए(1)3 / 2013.––इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2017 के अन्तर्गत, जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम सभा 'धराली बधाल' का नाम

बदलकर 'बधाल' रखने हेतु प्रस्तावना पर संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गये थे तथा उपायुक्त, जिला शिमला को इस संबन्ध में, आक्षेप / सुझााव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः उपायुक्त शिमला ने ग्राम सभा 'धराली बधाल' का नाम बदलकर 'बधाल' रखने की सिफारिश की है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम सभा 'धराली' का नाम बदलकर ग्राम सभा 'बधाल' घोषित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,
(ओंकार शर्मा),
सचिव (पंचायती राज)।

———————————

[*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. TCP-F(5)-6/2017 SHIMLA, DATED 12-9-2017 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 12th September, 2017

No.TCP-F(5)-6/2017.—WHEREAS, the draft Development Plan for Nadaun Planning Area was published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla under sub-section (1) of section 19 of the Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) read with rule 11 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rule 2014 vide Notice No. HIM/TP/PJT/D.P.Nadaun/2004/Vol-II/12-30 dated 01.04.2017 published in the Rajptra, Himachal Pradesh on 20.05.2017 for inviting objection(s) and suggestions(s), which were duly considered and the draft Development Plan was submitted to the Government for approval.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers vested under subsection (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Nadaun Planning Area, without any modifications and the same is hereby published in the Official Gazette of Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director,
   Town and Country Planning Department,
   Nagar Yojana Bhawan, Block No.32-A, Vikas Nagar,
   Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Towm and Country Planner,
Divisional Town Planning Office,
Hamirpur, Himachal Pradesh.

3. The Planning Officer
Town Planning Office,
Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
4. The Secretary,
Nagar Panchayat, Nadaun,
District Hamirpur, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into operation from the date of publication of this Notification in the Official Gazette in terms of subsection (5) of section 20 of the Act ibid and shall be binding on all Development Authorities constituted under the said Act and all local authorities functioning within the Nadaun Planning Area.

By order,
MANISHA NANDA,
Additional Chief Secretary (TCP).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 नवम्बर, 2017

संख्या. टी0सी0पी0–एफ(5)–6 / 2017.––नादौन योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम 11 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन, आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा नोटिस संख्या हिम / टीसीपी / पीजेटी / डी.पी.नादौन / 2004 / वोल्यूम–II / 12–30 तारीख 01–04–2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 20–05–2017 को प्रकाशित किया गया था जिन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और विकास योजना सरकार के प्रारूप को अनुमोदन के लिए प्रस्तत किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नादौन योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को बिना किसी उपान्तरण के अनुमोदित करते हैं और इसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त विकास योजना की एक प्रति निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी, अर्थात्:–

1. निदेशक,
नगर एवं ग्राम योजना विभाग,
नगर योजना भवन, ब्लाक न0 32–ए
कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश–171009.

2. नगर एवं ग्राम योजनाकार,
मण्डलीय नगर योजना कार्यालय,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

3. योजना अधिकारी,
नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय,
नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।

4. सचिव,
नगर पंचायत नादौन,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।

उक्त विकास योजना, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) के निबन्धनों के अनुसार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी और उक्त अधिनियम के अधीन गठित समस्त विकास प्राधिकरणों तथा नादौन योजना क्षेत्र के भीतर क्रियाशील समस्त प्राधिकरणों के लिए आबद्धकर होगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)

————————

[*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. TCP-F(5)-5/2017 SHIMLA, DATED 12-9-2017 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 12th September,2017

No.TCP-F(5)-5/2016.—WHEREAS, the draft Development Plan for Dharamshala Planning Area was published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla under sub-section (1) of section 19 of the Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) read with rule 11 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 vide Notice No. HIM/TP/PJT/D.P. Dharamshala/2013/Vol-III/103-20 dated 01.04.2017 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 21.04.2017 for inviting objection(s) and suggestion(s), which were duly considered and the draft Development Plan was submitted to the Government for approval.

Now THEREFORE, in exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Dharamshala Planning Area, without modifications and the same is hereby published in the Official Gazette of Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices, namely:—

1. The Director,
Town and Country Planning Department,
Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar,
Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office, Dharamshala
District Kangra, Himachal Pradesh.

3. The Commissioner,
Municipal Corporation, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into operation from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By order,
MANISHA NANDA
Addl. Chief Secretary (TCP).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 नवम्बर, 2017

संख्या. टी0सी0पी0–एफ(5)–5 / 2017.––धर्मशाला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप को, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम 11 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए निदेशक, नगर एवं योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा, नोटिस संख्याः हिम / टीपी / पीजेटी / डी.पी. धर्मशाला / 2013 / वोल्यूम–III / 103.20 तारीख 01–04-2017 द्वारा, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित किया गया था जिस पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और विकास योजना के प्रारूप को सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धर्मशाला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को बिना किसी उपान्तरण के अनुमोदित करते हैं और इसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त विकास योजना की एक प्रति निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी, अर्थातः–

1. निदेशक,
नगर एवं ग्राम योजना विभाग,
नगर योजना भवन, ब्लाक न0 32–ए,
कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश–171009.

2. नगर ग्राम योजनाकार,
मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

3. आयुक्त,
नगर निगम, धर्मशाला, जिला कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश ।

उक्त विकास योजना इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन आएगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department notification No.EXN-F(10)-18/2017 dated 15/09/2017 as required under clause (3) of articles 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 15th *September,* 2017

No. EXN-F(10)-18/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub- section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification No.11/2017- STATE TAX (RATE), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-loose dated 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the table,-

(*i*) against serial number 3, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, supplied to the Government, a local authority or a Governmental authority by way of construction**,** erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of, — (*a*) a historical monument, archaeological site or remains of national importance, archaeological excavation, or antiquity specified under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958); (*b*) canal, dam or other irrigation works;	6	—
(*c*) pipeline, conduit or plant for *(i)* water supply *(ii)* water treatment, or *(iii)* sewerage treatment or disposal.		
(*iv*) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction**,** erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,—	6	—

	(*a*) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use by general public; (*b*) a civil structure or any other original works pertaining to a scheme under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission or Rajiv Awaas Yojana; (*c*) a civil structure or any other original works pertaining to the "In-situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation" under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana, only for existing slum dwellers; (*d*) a civil structure or any other original works pertaining to the "Beneficiary led individual house construction / enhancement" under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana; (*e*) a pollution control or effluent treatment plant, except located as a part of a factory; or (*f*) a structure meant for funeral, burial or cremation of deceased.		
(*v*)	Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to,— (*a*) railways, excluding monorail and metro; (*b*) a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex; (*c*) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by competent authority empowered under the 'Scheme of Affordable Housing in Partnership' framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India; (*d*) low cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by the competent authority under— (1) the "Affordable Housing in Partnership" component of the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana; (2) any housing scheme of a State Government; (*e*) post-harvest storage infrastructure for agricultural produce including a cold storage for such purposes; or		

	(*f*) mechanised food grain handling system, machinery or equipment for units processing agricultural produce as food stuff excluding alcoholic beverages.		
(vi)	Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	9	-";

(*ii*) against serial number 8, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(vi) Transport of passengers by motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-";

(*iii*) against serial number 9, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). *Explanation*.—"goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay central tax @ 6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay central tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.";

(*iv*) against serial number 10, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely;—

(3)	(4)	(5)
"(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	6	-";

(*v*) against serial number 11, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). *Explanation*.—"goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
		or
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay central tax @ 6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay central tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.”;

(*vi*) against serial number 26,—

(*a*) in column (3), in item (i),-

(A) for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely:—

"(b) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) ;";

(B) the *Explanation* shall be omitted;

(*b*) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(ii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to— (*a*) printing of newspapers; (*b*) printing of books (including Braille books), journals and periodicals.	2.5	-
(iii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) and (ii) above.	9	-";

(*vii*) for serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27	Heading 9989	(i) Services by way of printing of newspapers, books (including Braille	6	-

		books), journals and periodicals, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.		
		(ii) Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services, other than (i) above.	9	-";

(*viii*)against serial number 34, in column (3), in item (i), after the word "drama", the words "or planetarium" shall be inserted

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary(E&T).

Note:—The principal notification was published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* notification No. 11/2017 - STATE TAX (RATE), dated 30th June, 2017, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017.

[*Authoritative English Text of this Department notification No.EXN-F(10)-18/2017 dated 15/09/2017 as required under clause(3) of articles 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 15th *September,* 2017

No. EXN-F(10)-18/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- STATE TAX (RATE), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh), *vide* number EXN-F(10)-14/2017-loose dated 30th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

(*i*) in the Table,-

(*a*) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9A	Chapter 99	Services provided by and to Fedration Internationale de Football Association (FIFA)	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the

		and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017 to be hosted in India.		services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017.”;

(*b*) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11A	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to Central Government by way of sale of wheat, rice and coarse grains under Public Distribution System (PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil
11B	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to State Governments or Union territories by way of sale of kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System (PDS) against consideration in the form of commission or margin	Nil	Nil

(*c*) against serial number 35, in column (3),—

(A) in item (h), for the words "Weather based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme", the words, brackets and letters "Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWCIS)", shall be substituted;

(B) in item(j), for the words "National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana)", the words, brackets and letters "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)", shall be substituted;

(*ii*) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) A "Limited Liability partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall be considered as a partnership firm or a firm.".

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (E&T).

Note:—The principal notification was published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* notification No. 11/2017 - STATE TAX (RATE), dated 30th June, 2017, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017.

[*Authoritative English Text of this Department notification No.EXN-F(10)-18/2017 dated 15/09/2017 as required under clause(3) of articles 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 15th *September,* 2017

No. EXN-F(10)-18/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section(5) of section 15 and sub-section(1) of section 16 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification No.13/2017- STATE TAX (RATE), dated the 30th June, 2017, published in the official Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-loose dated 30th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table, against serial number 1, in column (2), after the words and brackets "goods transport agency (GTA)" the words and figure ", who has not paid central tax at the rate of 6%," shall be inserted;

(ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(e) A "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.".

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary(E&T).

Note:—The principal notification was published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* notification No. 11/2017 - STATE TAX (RATE), dated 30th June, 2017, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017.

[*Authoritative English Text of this Department notification No.EXN-F(10)-18/2017 dated 15/09/2017 as required under clause(3) of articles 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 15th *September,* 2017

No.EXN-F(10)-18/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to makes the following amendments in the notification of No.17/2017- STATE TAX (RATE), dated the 30th June, 2017,

published in the official Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-loose dated 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:—

"(*iii*) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc., except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act.".

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary(E&T).

Note:—The principal notification was published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* notification No. 11/2017 - STATE TAX (RATE), dated 30th June, 2017, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017.

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति–IV)

अधिसूचना

शिमला–2, 4 सितम्बर, 2017

संख्याः कार्मिक(नियुक्ति–IV)–ई(3)–04 / 2016.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, कार्मिक विभाग में **अतिरिक्त विधि परामर्शी–एवं–अतिरिक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी), वर्ग–I (राजपत्रित)** के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग अतिरिक्त विधि परामर्शी–एवं–अतिरिक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी), वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
मुख्य सचिव।

अनुबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग में अतिरिक्त विधि परामर्शी–एवं–अतिरिक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी) वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––अतिरिक्त विधि परामर्शी–एवं–अतिरिक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी)।

2. **पद (पदों) की संख्या.**––01 (एक)।

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–I (राजपत्रित)।

4. **वेतनमान.**––(पे बैंडः5) ₹ 37400–67000+8700 / –ग्रेड पे।

5. **''चयन पद'' अथवा ''अचयन पद''.**––चयन।

6. **सीधे भर्ती के लिए आयु.**––लागू नहीं।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.**––*अनिवार्य अर्हता (एं).*––लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (एं).––लागू नहीं।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगीं या नहीं.**––*आयु.*––लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं).––लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**––लागू नहीं।

10. **भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सेकेण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.**––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. **प्रोन्नति, सेकेण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सेकेण्डमेंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.**––संयुक्त विधि परामर्शी–एवं–संयुक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर संयुक्त विधि परामर्शी–एवं–संयुक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका संयुक्त विधि परामर्शी–एवं–संयुक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी) और उप विधि परामर्शी–एवं–उप सचिव (विधि–अंग्रेजी) के रूप में संयुक्ततः चार वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें संयुक्त विधि परामर्शी–एवं–संयुक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी) के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर संयुक्त विधि परामर्शी–एवं–संयुक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका संयुक्त विधि परामर्शी–एवं–संयुक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी) उप विधि परामर्शी–एवं–उप सचिव (विधि–अंग्रेजी) सहायक विधि परामर्शी–एवं–अवर सचिव (विधि–अंग्रेजी) और वरिष्ठ विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के रूप में संयुक्ततः ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें संयुक्त विधि परामर्शी–एवं–संयुक्त सचिव (विधि–अंग्रेजी) के रूप में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के

अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––लागू नहीं।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.Per(A-IV)-E(3)-4/2016 dated 04-09-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT
(A-IV)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 4th *September,* 2017

No.Per(A-IV)-E(3)-4/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Additional Legal Remembrancer-cum-Additional Secretary (Law-English), Class-I** (Gazetted) in the Department of Personnel, as per Annexure "A" appended to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Additional Legal Remembrancer-cum-Additional Secretary (Law- English), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

———————

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ADDITIONAL LEGAL REMEMBRANCER-CUM-ADDITIONAL SECRETARY (LAW-ENGLISH), CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.— Additional Legal Remembrancer-*cum*-Additional Secretary (Law-English).

2. Number of post.—01 (One).

3. Classification.—Class-I, (Gazetted).

4. Scale of pay.—(PB:5) ₹37400-67000 + ₹8700/-Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non- Selection post.—Selection.

6. Age for direct recruitment.—Not applicable.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— *Essential Qualification(s):—* Not applicable.

Desirable Qualification(s):— Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age:—* Not applicable.

*Educational Qualification(s):—*Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Not applicable.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which pomotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law- English), possessing 03 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-English), possessing 04 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, combined as Joint Legal Remembrancer-*cum*-Joint Secretary (Law-English) and Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law- English), which shall also include essential service of 02 years as Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-English), failing both by promotion from amongst the Joint Legal Remembrancer-*cum*-Joint Secretary (Law-English) possessing 11 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, combined as Joint Legal Remembrancer-*cum*-Joint Secretary (Law-English), Deputy Legal remembrancer-*cum*-Deputy Secretary (Law-English), Assistant Legal Remembrancer-*cum*-Under Secretary (Law-English) and Senior Law Officer (English), which shall also include essential service of 01 year as Joint Legal Remembrancer-*cum*-Joint Secretary (Law- English).

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R& P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Department Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time,

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the HP Public service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

———————

ब अदालत कार्यालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी इन्दौरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केसनं0 : 35 / तहसील / 2016 तारीख पेशी : 25–10–2017

कमला देवी बनाम राजेश हंसपाल वगैरा

बनाम

निम्न प्रत्यार्थी नम्बरान को **बजरि**या इश्तहार;–

2. (a) दीपक कुमार पुत्र श्रीमति विमला देवी पुत्री निक्कू, वासी खुब्बड, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3. (b) कंचन वाला पुत्री श्रीमति विमला देवी पुत्री हिक्कू हाल पत्नी श्री नरेश कुमार (निशू), वासी चन्नौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

विषय.––इश्तहार तकसीम

उपरोक्त मुकद्दमा वाला में उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार के माध्यम से इत्तलाह करवाएं कि खाता नम्बर 158 मुकद्दमा में निर्धारित तिथि 25–10–2017 को इच्छुक हिस्सेदार केस की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आएं अन्यथा नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जाएगा। इश्तहार रिपोर्ट उपरोक्त निर्धारित तारीख से पूर्व किया जाना आवश्यक है।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

––––––––––

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

श्री Anil Parmar

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Anil Parmar पुत्र श्री B.S. Parmar, निवासी Sham Nagar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम Abhi Raj Parmar की जन्म तिथि 23–09–2003 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Abhi Raj Parmar की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 04–10–17 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04–09–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री Puran Chand बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Puran Chand पुत्र श्री Moti Ram, निवासी Totarani, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Grand Mother Mangti Devi की मृत्यु तिथि 03–06–1998 है परन्तु ग्राम पंचायत Bhattla में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Mangti Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 04–10–17 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–9–17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

————————

ब अदालत श्री रोशन लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

कुलदीप सिंह पुत्र विलास चन्द, निवासी झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.––महाल पोहाड़ा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल पोहाड़ा में विलास चन्द पुत्र वजीर सिंह के बजाय विशंबर चन्द पुत्र वजीर सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में व महाल झरेड़ में उसके पिता का सही नाम विलास चन्द पुत्र वजीर सिंह दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता के सही नाम विलास चन्द उपनाम विशंबर चन्द पुत्र वजीर सिंह का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम दरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–09–2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रोशन लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

सतीश कुमार पुत्र वाली राम, निवासी झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.––महाल झरेड़ के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल झरेड़ में सतीश कुमार पुत्र वाली राम के बजाय संतोष कुमार पुत्र वाली राम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम सतीश कुमार पुत्र वाली राम दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना सही नाम संतोष कुमार उपनाम सतीश कुमार पुत्र वाली राम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23–09–2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रोशन लाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 06–10–2017

दलीप चन्द पुत्र घुघर, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता
2. सचिव, ग्राम पंचायत रेहलू

विषय.––बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से संबधित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पिता घुंघर राम पुत्र माली राम का देहान्त दिनांक 27–09–1983 को महाल रेहलू में हुई है परन्तु अज्ञानतावशं उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज संबन्धित ग्राम पंचयात रेहलू, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता की उपरोक्त मृत्यु तिथि को संबन्धित ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06–10–2017 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री नरेश कुमार सतउं, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : .....2017 तारीख पेशी : 16–10–2017

श्री मोहरम अली पुत्र श्री असगर अली, वासी गांव शाहपुर, डाकघर बैहत, तहसील बैहत, जिला साहरनपुर, उत्तर प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

श्री मोहरम अली पुत्र श्री असगर अली, वासी गांव शाहपुर, डाकघर बैहत, तहसील बैहत, जिला साहरनपुर, उत्तर प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके भाई श्री मनोव्वर हुसैन पुत्र असगर अली का देहांत दिनांक 16–05–2017 को गांव घुड, ग्राम पंचायत बटाहण, उप–तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में मजदूर का कार्य करते समय हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने भाई श्री मनोव्वर हुसैन पुत्र असगर अली की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बटाहण को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त स्व0 मनोव्वर हुसैन पुत्र असगर अली की मृत्यु तिथि 16–05–2017 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16–10–2017 को हाजिर अदालत हो अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त स्व0 मनोव्वर हुसैन पुत्र असगर अली की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत, बटाहण को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01–09–2017 को जारी हुआ।

मोहर।

नरेश कुमार सतउं,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत श्री नरेश कुमार सतउं, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : .....2017 तारीख पेशी : 16–10–2017
किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमति लज्या देवी पुत्री तारो देवी पत्नी श्री नरैण सिंह, निवासी गांव अप्पर चूला, डाकघर वैरघटा, उप–तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

प्रार्थिया श्रीमति लज्या देवी पुत्री तारो देवी पत्नी श्री नरैण सिंह, निवासी गांव अप्पर चूला, डाकघर वैरघटा, उप–तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 06–05–1964 को गांव अप्पर चूला, ग्राम पंचायत वैरघटा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बैरघटा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त लज्या देवी पुत्री तारो देवी पत्नी श्री नरैण सिंह, की जन्म तिथि 06–05–1964 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16–10–2017 को हाजिर अदालत हो अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त लज्या देवी पुत्री तारो देवी पत्नी श्री नरैण सिंह की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत, बैरघटा को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04–09–2017 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

————

In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
Distt. Kangra, H.P.

1. Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Parkash Chand r/o Sokni-Da-Kot, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra.

2. Smt. Pinki Devi d/o Sh. Brij Lal, r/o Yolcantt, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra.

Versus

1. The General Public
2. Commissioner Municipal Corporation, Dharamshala

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 04-09-2015 at Sokni-Da-Kot, but has not been found entered in the rcords of the Registrar of Marriages *i.e*. Commissioner Municipal Corporation, Dharamshala;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 04-10-2017 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed *exparte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issied under may hand and seal of the court on this 5-9-2017.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate, ,
Dharamshala Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra , H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है